



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1080]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 6, 2012/ज्येष्ठ 16, 1934

No. 1080]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 6, 2012/JYAISTHA 16, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2012

का.आ. 1300(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पश्चिमी बंगाल तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1. प्रधान सचिव, —अध्यक्ष
पर्यावरण विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार, कोलकाता
2. प्रधान सचिव, —सदस्य
वन विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार, कोलकाता
3. प्रधान सचिव, —सदस्य
मतस्य विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार, कोलकाता
4. प्रधान सचिव, —सदस्य
सुंदरबन कार्य विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार, कोलकाता

5. प्रधान सचिव, —सदस्य
शहरी विकास विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार, कोलकाता
6. प्रो. अनिंदया सरकार, —सदस्य
भू-विज्ञान और भू-भैतिकी विभाग,
भारतीय तकनीकी संस्थान, खड़गपुर
7. श्री प्रवण कुमार प्रधान, —सदस्य
34/बनमाल नस्कर रोड,
भेला, कोलकाता-700060
8. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, —सदस्य-सचिव
पर्यावरण विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार, कोलकाता

2. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पश्चिमी बंगाल राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

- (i) पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों तथा तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और तटीय विनियमन की दृष्टि से भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के अनुसरण में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना;

- (ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;
- (ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्य से संबंधित है उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनरावलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्दिष्ट करना:
- परन्तु उप-पैराओं के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन मामलों को स्वतः स्फूर्त आधार पर अथवा किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी;
- (iii) उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न होने की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाईल करना;
- (iv) उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) से उद्भूत मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना;
3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों जो उसे, यथास्थिति, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं से बरतेगा।
 4. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा।
 5. प्राधिकरण, संरक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन या तटीय जनसंख्या संरक्षण आदि के उन्नयन के लिए परियोजनाओं का समन्वय करेगा।
 6. प्राधिकरण, क्षरण या अपचय के लिए अधिक सहजमेद्य तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा तथा उसके कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण का प्रबंध करेगा।
 7. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सों की पहचान करेगा और उसके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजनाएं तैयार करेगा।
 8. प्राधिकरण, पूर्वोक्त पैरा 4, पैरा 6 और पैरा 7 के अधीन तैयार योजनाएं और उनमें परिवर्तनों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को जांच और उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
 9. प्राधिकरण, अनुमोदित पश्चिमी बंगाल राज्य तटीय प्रबंधन जोन योजना और भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित सभी विशिष्ट शालों के अनुपालन का सुनिश्चय करेगा।
 10. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय को छह मास में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेगा।
 11. प्राधिकरण के बैठकों की गणपूर्ति प्राधिकरण के कुल सदस्यों के एक तिहाई से होगी और गणपूर्ति के न हाने की दशा में बैठक तीस मिनट के लिए स्थगित कर दी जाएगी और पुनः बुलाई जाएगी।
 12. प्राधिकरण राज्य सरकार वित्तपोषण अभिकरणों या परियोजना प्राधिकारियों आदि से प्राप्त निधियां या फीसों को जमा करने के लिए किसी राष्ट्रीय बैंक में अपना खाता रखेगा।
 13. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिसूचना और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में यथापरिकल्पित इसके प्रभावी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकरण को पर्याप्त मात्रा में संसाधन, मानव शक्ति, निधियां उपलब्ध हों।
 14. प्राधिकरण, सभी आवश्यक उपाय और पहल करेगा, जिसमें कार्यक्रम का निष्पादन, अनुसंधान, सूचना प्रसार, प्रशिक्षण, दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के प्रति जागरूकता और समर्थन आदि सम्मिलित हैं और ऐसे उपयुक्त प्रक्रियाओं और साधनों को अंगीकृत करेगा जिसमें उसके लिए संसाधन वित्तपोषण आदि जुटाना भी सम्मिलित है।
 15. प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के तटीय क्षेत्रों के तटीय विनियमन जोन माचित्र तैयार करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण और पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।
 16. प्राधिकरण, जिला तटीय जोन मानीटरी समितियों के कृत्यों का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेगा।
 17. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन अधिसूचनाओं के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध योजना प्राधिकारियों, क्षेत्र अभिकरणों, जिला कलेक्टरों को

- निदेश देगा और उल्लंघन/अननुपालन के मामले में उपयुक्त कार्रवाई करेगा ।
18. वेतन और यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता, आसन फीस, क्षेत्र दौरा फीस आदि जैसे भत्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए गए सनियमों के अनुसार होंगे ।
 19. प्राधिकरण, जब कभी आवश्यकता हो, अन्य विशेषज्ञ को बैठक के दौरान सदस्य के रूप में आमंत्रित करेगा ।
 20. इस प्रकार प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटया जाएगा ।
 21. प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग से परामर्श करके उसे संवीक्षा फीस का वैसे ही उद्ग्रहण कर सकेगा जो किए एक प्रदूषक सिद्धांततः संदाय करता है ।
 22. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन निकासी के लिए सभी विषयों, प्राप्त प्रस्तावों या उसे निर्दिष्ट या उसके समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों की भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरणों और मानक निर्देशों के अनुसार प्रसंस्कृत करेगा ।
 23. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के साथ पठित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के अधीन निदेश जारी करने की शक्तियां अध्यक्ष और प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित की जाती है और अध्यक्ष द्वारा निदेश जारी करने की दशा में प्राधिकरण की अगली बैठक में, ऐसे निदेशों को, निदेश जारी करने के कारणों और उनकी प्रास्थिति को विनिर्दिष्ट करने वाली रिपोर्ट सहित प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा ।
 24. तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह एक समर्पित वेबसाइट का सृजन करे और उस पर कार्यसूची, कार्यवृत्त, किए गए विनिश्चय, अनापत्ति पत्र, उल्लंघन, उल्लघनों पर कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश सम्मिलित हैं तथा संबंधित राज्य सरकार अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी डालेगा ।
 25. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के अधिक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।
 26. प्राधिकरण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित होगा ।

[फा. सं. 12-8/2005-आईए-III]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
ORDER

New Delhi, the 6th June, 2012

S.O. 1300(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the West Bengal Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :—

- (1) Principal Secretary, —Chairman;
Department of Environment,
Government of West Bengal, Kolkata
- (2) Principal Secretary, —Member;
Department of Forests,
Government of West Bengal, Kolkata
- (3) Principal Secretary, —Member;
Department of Fisheries,
Government of West Bengal, Kolkata
- (4) Principal Secretary, —Member;
Department of Sundarban Affairs,
Government of West Bengal, Kolkata
- (5) Principal Secretary, —Member;
Department of Urban
Development, Government
of West Bengal, Kolkata
- (6) Professor Anindya Sarkar, —Member;
Department of Geology and
Geophysics, Indian Institute
of Technology, Kharagpur
- (7) Shri Pranab Kumar Pradhan, —Member;
34/1, Banamali Naskar Road,
Behala, Kolkata-700 060
- (8) Chief Environment Officer, —Member-Secretary.
Department of Environment,
Government of West Bengal, Kolkata

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of West Bengal, namely :—

- (i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the State Government of West Bengal and making specific recommendations from Coastal Regulation Zone point of view as per the

provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii);

- (ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under Section 5 of the said Act, in so far as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority :

Provided that the Authority may take up the cases under clauses (a) and (b) of this sub-paragraphs, suo motu or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organisation;

- (iii) filing complaints, under Section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii);
- (iv) to take action under Section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii).
3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of West Bengal, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government, as the case may be.
4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
5. Authority shall co-ordinate for implementing conservation projects or projects related to upliftment of coastal population protection, etc.
6. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas and arrange for funding for the implementation of the same.

7. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
8. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4, 6 and 7 above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
9. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of West Bengal and the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).
10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment and Forests.
11. The quorum of the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of the members and in case the quorum is not available, the meeting shall be adjourned for thirty minutes and shall be reconvened.
12. The Authority shall have its Bank Account in the National Bank to deposit the funds or fees received from the State Government, funding agencies or project authorities, etc.
13. The State Government shall ensure that sufficient resources, manpower, funds are available to the Authority to discharge its functions effectively as specified in this order and the said Act.
14. The Authority shall take all necessary measures and initiatives including programme execution, research, information dissemination, training, awareness day to day functioning, and advocacy etc. and adopt suitable procedures and means including raising resources, funding, etc., for the same.
15. The Authority shall prepare and submit Coastal Regulation Zone maps of the coastal areas in the State as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment and Forests.
16. The Authority shall regularly review the functioning District Coastal Zone Monitoring Committees.

17. The Authority shall direct all concerned planning authorities, field agencies, district collector to ensure the compliance of provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and take suitable action in case of violations or non-compliance.
18. The pay and allowances such as Travelling Allowance, Dearness Allowance, Seating Fees, Field visit fees, etc., shall be as per the norms decided by the Central Government.
19. The Authority, whenever required shall invite other expert as a member during its meeting.
20. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.
21. The Authority may levy scrutiny fees as a polluter pays principle in consultation with the Environment Department.
22. The Authority shall process all the matters, proposals received, referred to or placed before it for Coastal Regulation Zone Clearance as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and, clarifications and guidelines issued by Ministry of Environment and Forests.
23. The Powers of issuing directions under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) are delegated to the Authority and the Chairman of the Authority and in case the directions are issued by the Chairman, such directions shall be placed before the Authority in its next meeting along with a report specifying the reasons for issuing of the directions and status thereof.
24. To maintain transparency in the working of the Coastal Zone Management Plans it shall be the responsibility of the Authority to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and court matters including the Orders of the Hon'ble Court as also the approved Coastal Zone Management Plans of the State Government.
25. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
26. The Authority shall have its headquarters at Kolkata.

[F. No. 12-8/2005-IA-III]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

2042 G/112-2